



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

31 आषाढ़ 1948 (श10)
(सं० पटना 837) पटना, बुधवार, 22 जुलाई 2026

बिहार विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना
21 जुलाई, 2026

सं० वि०सं०वि०-22/2026-3303/वि०सं०।— “बिहार जुआ (प्रतिषेध) विधेयक, 2026”, जो बिहार विधान सभा में दिनांक-21 जुलाई, 2026 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है ।

आदेश से,
पूनम सिन्हा,
प्रभारी सचिव ।

बिहार जुआ (प्रतिषेध) विधेयक, 2026

[वि०स०वि०-13/2026]

राज्य के भीतर जुआ खेलने तथा सामान्य जुआघरों के संचालन पर प्रतिषेध लगाने और उससे संबद्ध अथवा अनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के सत्तहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा अब इसे निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाता है—

अध्याय I

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।—

- (1) यह अधिनियम बिहार जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम, 2026 कहा जा सकेगा।
- (2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।
- (3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएँ।—

- (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—
 - (क) “अधिनियम” से अभिप्रेत है बिहार जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम, 2026।
 - (ख) “सट्टेबाजी या दाँवलगाना” से अभिप्रेत होगा किसी अनिश्चित घटना के परिणाम पर धन, आभासी मुद्रा, डिजिटल मूल्य या किसी अन्य मूल्यवान वस्तु को, चाहे वह विधि द्वारा मान्य मुद्रा के समतुल्य हो या न हो, के माध्यम से बाजी लगाना।
 - (ग) “कंपनी” से अभिप्रेत है निगमित निकाय, तथा इसमें शामिल है, समय-समय पर यथा संशोधित कंपनी अधिनियम, 1956 या कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अंतर्गत विधिवत गठित और निबंधित फर्म या व्यक्तियों का संघ।
 - (घ) “जुआ” में सम्मिलित है—
 - (i) वित्तीय लाभ या प्रतिफल के उद्देश्य से भौतिक या ऑनलाइन, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल या आभासी माध्यमों से सट्टेबाजी या दाँव लगाना;
 - (ii) कोई भी ऐसा संव्यवहार जिसके द्वारा कोई व्यक्ति किसी भी हैसियत में स्वयं दाँव अथवा शर्त लगाता है या किसी अन्य व्यक्ति को दाँव अथवा शर्त लगाने के लिए नियुक्त, नियोजित या अधिकृत करता है;
 - (iii) दाँव, बाजी, जीत या पुरस्कारों, चाहे वह नगद में हो या किसी अन्य रूप में, का संग्रह, याचना, प्राप्ति या वितरण, जो दाँव लगाने या सट्टेबाजी के संबंध में हो; और
 - (iv) ऐसा कोई भी कार्य या लोप, जिसका आशय सट्टेबाजी या जुए, या उसके संग्रह, याचना, प्राप्ति या वितरण में सहायता करना, दुष्प्रेरण करना, सुगम बनाना या बढ़ावा देना हो।

स्पष्टीकरण—यह अप्रासंगिक है कि दाँव अथवा शर्त प्रत्यक्ष रूप से की गई है या अप्रत्यक्ष रूप से, और इसके लिए दिया गया प्रतिफल मौद्रिक है या अन्य किसी रूप में।

(ड.) “जुआ खेलने के उपकरणों” से अभिप्राय—

- (i) ताश, पासा, काउंटर, गेमिंग टेबल, बोर्ड, कपड़े या कोई भी ऐसी वस्तु जिसका उपयोग भौतिक रूप के साथ-साथ आभासी, इलेक्ट्रॉनिक या अमूर्त रूप में जुआ के विषय या साधन के रूप में किया जाता हो या किये जाने का इरादा हो;
- (ii) कोई भी दस्तावेज, रजिस्टर, बही, पर्ची, टोकन, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख या डिजिटल अभिलेख, जिसका उपयोग जुआ के अभिलेख या साक्ष्य के रूप में किया गया हो या किये जाने का इरादा हो;
- (iii) जुए से प्राप्त होने वाली आय में नकद, ऑनलाइन या इलेक्ट्रॉनिक धन अंतरण, लेन-देन, जीत या पुरस्कार शामिल है, जो जुए के संबंध में वितरित किये गये हैं या वितरित किये जाने का इरादा हो।

(च) "सामान्य जुआघर" से अभिप्राय है कोई भी सार्वजनिक या व्यावसायिक स्थान या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म—

- (I) जहाँ जुआ खेला जाता हो; या
- (II) जहाँ जुआ के साधन, उस स्थान के स्वामी, अधिभोक्ता, उपयोगकर्ता या प्रबंधक के लाभ या मुनाफे के प्रयोजन से रखे या प्रयुक्त किए जाते हो।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए जुआ में निम्नलिखित पर दौंव अथवा शर्त लगाना भी सम्मिलित होगा—

- (i) किसी वस्तु के व्यापार मूल्य पर या व्यापार मूल्य में होने वाले उतार चढ़ाव पर, या उस उतार चढ़ाव को व्यक्त करने के लिए उपयोग किये जाने वाले अंकों या संख्याओं पर; या
- (ii) किसी स्टॉक या शेयर के बाजार मूल्य पर या उस मूल्य को बताने के लिए उपयोग किये जाने वाले अंकों या संख्याओं पर; या
- (iii) वर्षा अथवा अन्य प्राकृतिक घटना के घटित होने या न होने पर; या
- (iv) किसी भी अंक, आकृति, संकेत, प्रतीक या चित्र पर, जिसका उपयोग वली, मटका, सट्टा अथवा इसी प्रकार के जुए के प्रतीक के संबंध में शुरुआती, मध्य या समापन अंकों, आकृतियों, संकेतों, प्रतीकों या चित्रों को बताने या घोषित करने के लिए किया जाता है; या
- (v) किसी भी अंक, आकृति, संकेत, प्रतीक या चित्र पर, जिसका उपयोग किसी भी गेमिंग या जुए के किसी अन्य रूप के संबंध में दौंव लगाने या सट्टेबाजी के लिए किया जाता है।

(छ) "ऑनलाइन जुआ" से अभिप्राय है कम्प्यूटर, कम्प्यूटर एप्लिकेशन, कम्प्यूटर नेटवर्क, कम्प्यूटर सिस्टम, मोबाइल एप्लिकेशन, इंटरनेट प्लेटफॉर्म, संचार उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक एप्लिकेशन, सॉफ्टवेयर या किसी भी आभासी या डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से—किसी भी ऐसी पद्धति द्वारा जिसमें अंकों, आकड़ों, चिन्हों, प्रतीकों या चित्रों का चयन, निर्माण या स्वीकृति शामिल हो—जुआ खेलने में शामिल होना, उसमें भाग लेना, उसका आयोजन करना, उसे सुगम बनाना या उसके लिए उकसाना।

(ज) "भाग्य का खेल" अर्थात् एक ऐसा खेल जिसमें परिणाम मुख्य रूप से प्रतिभागी के ज्ञान, प्रशिक्षण, विशेषज्ञता या अनुभव से निर्धारित नहीं होता है, बल्कि मुख्य रूप से संयोग या भाग्य से निर्धारित होता है।

स्पष्टीकरण—पूर्वगामी की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अनुसूची 'ए' में निर्दिष्ट सभी खेलों को 'भाग्य का खेल' माना जायेगा।

(झ) "विहित" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम।

(ञ) "अनुसूची" से अभिप्राय है इस अधिनियम में संलग्न अनुसूची।

(2) इस अधिनियम में प्रयुक्त कम्प्यूटर, संचार उपकरण, कम्प्यूटर नेटवर्क, कम्प्यूटर संसाधन, कम्प्यूटर प्रणाली, साईबर कैफे और इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख शब्दों से वही अभिप्रेत होंगे, जो समय-समय पर यथा संशोधित सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में उनके लिए समानुद्देशित है।

(3) इस अधिनियम में प्रयुक्त शब्दों और अभिव्यक्तियों से, जो इस अधिनियम में परिभाषित नहीं हैं और अन्य अधिनियमों में परिभाषित हैं, वही अभिप्रेत होंगे, जो उनसे संबंधित अधिनियमों में उनके लिए समानुद्देशित हो।

अध्याय II

अपराध और दण्ड

3. सार्वजनिक स्थानों पर जुआ।—

- (i) कोई भी पुलिस अधिकारी बिना वारंट ऐसे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है और उसकी तलाशी ले सकता है, जो किसी सार्वजनिक सड़क, मार्ग या ऐसे स्थान पर जहाँ जनता का प्रवेश है या अनुमति है, जुआ खेलते हुए पाया जाए या जुए में सहायता या दुष्प्रेरण कर रहा हो।

- (ii) उप धारा (i) के अंतर्गत गिरफ्तार प्रत्येक व्यक्ति को गिरफ्तारी के स्थान के क्षेत्राधिकार में आने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा और विचारण के पश्चात् दोषसिद्धि होने पर उसे ऐसी अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जायेगा, जो छह माह तक की हो सकती है; अथवा ऐसे जुर्माने से, जो तीन हजार रुपये से कम नहीं होगा और दस हजार रुपये तक हो सकता है; अथवा दोनों से दंडनीय होगा।

4. सामान्य जुआघर का संचालन, प्रबंधन या वित्तपोषण।—

जो कोई—

- (i) इस अधिनियम के लागू होने की सीमा क्षेत्र के भीतर स्थित किसी भी सार्वजनिक या व्यावसायिक स्थान या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का स्वामी, अधिभोगी या उपयोगकर्ता होते हुए, उसे सामान्य जुआघर के रूप में खोलता है, रखता है या उपयोग करता है; या
- (ii) उपर्युक्त प्रकार के किसी भी सार्वजनिक या व्यावसायिक स्थान या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का स्वामी, अधिभोगी होते हुए, जानबूझकर या इच्छापूर्वक किसी अन्य व्यक्ति को उसे सामान्य जुआघर के रूप में खोलने, अधिभोग करने, उपयोग करने या बनाये रखने की अनुमति देता है; या
- (iii) जुए के प्रयोजन से खोले गये, अधिभोग किये गये, उपयोग में लाये गये या रखे गये किसी भी सार्वजनिक या व्यावसायिक स्थान या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के व्यवसाय का रख-रखाव करता है, प्रबंधन करता है, संचालन करता है या किसी भी प्रकार से सहायता करता है; या
- (iv) जुए के प्रयोजनों के लिए अथवा व्यक्तियों को ऐसे किसी भी सार्वजनिक या व्यावसायिक स्थान या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुआ खेलने हेतु सक्षम बनाने के लिए धन या कोई वित्तीय सहायता अग्रिम देता है, उपलब्ध कराता है या प्रदान करता है, दंडनीय होगा—
- (क) प्रथम अपराध के लिए, कारावास से, जिसकी अवधि छह माह से कम नहीं होगी किन्तु अवधि तीन वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, तथा आर्थिक दण्ड से भी दंडनीय होगा, जो पचास हजार रुपये तक हो सकता है;
- (ख) बाद के अपराधों के लिए, कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु पाँच वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है तथा एक लाख रुपये तक की जुर्माने की राशि भी दंड स्वरूप अधिरोपित की जा सकती है।

5. सामान्य जुआघर में जुआ खेलते पाए गए व्यक्ति।—अगर कोई व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक या व्यावसायिक स्थान या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में—

- (i) ताश, पासा, गोटियों, धन, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या जुए के अन्य साधनों से खेलता हुआ पाया जाए; या
- (ii) जुए के प्रयोजन से वहाँ उपस्थित हो,
उसे ऐसे कारावास जिसकी अवधि छह माह तक की हो सकेगी, दंडित किया जायेगा, अथवा ऐसे जुर्माने से जो दस हजार रुपये तक हो सकेगा, अथवा दोनों से दंडनीय होगा।

6. ऑनलाइन जुआ।—अगर कोई व्यक्ति ऑनलाइन जुए में संलिप्त रहता है; या किसी को लिप्त रहने के लिए दुष्प्रेरित करता है, वह दंडनीय होगा—

- (i) प्रथम अपराध के लिए, कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु तीन वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, तथा पचास हजार रुपये से अन्यून के आर्थिकदण्ड से, जिसे पाँच लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकेगा, दंडनीय होगा;
- (ii) पश्चातवर्ती अपराधों के लिए, कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु सात वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, तथा एक लाख रुपये से अन्यून के जुर्माने से, जिसे दस लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकेगा, दंडनीय होगा।

7. जुए के लिए बैंक खातों, वॉलेट या डिजिटल साधनों का उपयोग।—अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपना बैंक खाता, मोबाइल एप्लिकेशन, वॉलेट खाता या किसी भी नाम से ज्ञात कोई अन्य वित्तीय या डिजिटल खाता, जुए या ऑनलाइन जुए के उद्देश्य से उपलब्ध कराता है और उससे कोई लाभ या मुनाफा प्राप्त करता है, वह छह माह तक की अवधि के कारावास या दस हजार रुपये तक के जुर्माने से अथवा दोनों से दंडनीय होगा।

8. **पहचान बताने से इनकार।**—यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी पुलिस पदाधिकारी द्वारा प्रवेश किये गये किसी सामान्य जुआघर में पाया जाता है, तो ऐसे पुलिस पदाधिकारी द्वारा गिरफ्तार किये जाने पर या मजिस्ट्रेट के समक्ष लाये जाने पर, ऐसे पदाधिकारी या मजिस्ट्रेट द्वारा अपना नाम और पता बताने के लिए अपेक्षा किये जाने पर—

(i) बताने से इनकार करता है; या

(ii) झूठा नाम या पता बताता है,

तो वह विचारण के पश्चात् दोषसिद्धि पर, वह ऐसी अवधि के कारावास से, जिसे छह माह तक बढ़ाया जा सकेगा या जुर्माने से, जिसे पाँच हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकेगा अथवा दोनों से दंडनीय होगा।

9. **कंपनियों द्वारा अपराध।**—

(i) जहाँ इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया हो, वहाँ प्रत्येक व्यक्ति, जो अपराध किये जाने के समय उस कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए कंपनी का प्रभारी था और उसके प्रति उत्तरदायी था, उसे और साथ ही स्वयं कंपनी को भी, उस अपराध का दोषी समझा जायेगा और तदनुसार उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और उसे दंडित किया जाएगा:

परन्तु इस उप-धारा में अंतर्विष्ट कोई भी बात किसी ऐसे व्यक्ति को दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह सिद्ध कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध को रोकने के लिए पूरी कोशिश की थी।

(ii) उप-धारा (i) में किसी भी बात के होते हुए भी, जहाँ इस अधिनियम के तहत कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह सिद्ध हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी (जिसमें कंपनी अधिनियम, 2013 में परिभाषित प्रमुख प्रबंधकीय कर्मी भी शामिल हैं) की सहमति या मिलीभगत से किया गया है, अथवा उनकी किसी लापरवाही के कारण हुआ है, तो ऐसे निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी को भी उस अपराध का दोषी माना जाएगा और वे तदनुसार कार्रवाई और दंड के पात्र होंगे।

व्याख्या— इस धारा के प्रयोजनों के लिए

(क) "कंपनी" का अर्थ है कोई भी निगमित निकाय और इसमें फर्म या व्यक्तियों का संघ शामिल है; तथा

(ख) किसी फर्म के संबंध में 'निदेशक' का अर्थ है उस फर्म का भागीदार।

10. **जुए से संबंधित सूचना का मुद्रण, प्रकाशन और प्रसार।**—अगर कोई व्यक्ति, किसी भी रीति से, चाहे वह कैसी भी हो; वर्ली, मटका या जुए के किसी अन्य रूप से संबंधित कोई अंक या आँकड़े या चिन्ह या प्रतीक या चित्र या ऐसे दो या अधिक अंकों या आँकड़ों या चिन्हों या प्रतीकों या चित्रों के संयोजन को किसी भी तरीके से प्रकाशित या प्रचारित करता है या किसी भी प्रकार के उपकरण अपनाता है या ऐसे अंकों या आँकड़ों या चिन्हों या प्रतीकों या चित्रों या उनमें से किन्हीं दो या अधिक के संयोजन द्वारा सट्टा लगाने के प्रयोजन के लिए सूचना का प्रसार करता है या प्रसार करने का प्रयास करता है या प्रसार को बढ़ावा देता है, वह दंडनीय होगा—

(i) प्रथम अपराध के लिए, कारावास से, जिसकी अवधि छह माह से कम नहीं होगी किन्तु तीन वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, तथा दस हजार रुपये से अन्यून के आर्थिक दण्ड से, जिसे एक लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकेगा, दंडनीय होगा;

(ii) पश्चातवर्ती अपराधों के लिए, कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु पाँच वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है तथा पचास हजार रुपये से अन्यून के आर्थिक दण्ड से, जिसे पाँच लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकेगा, दंडनीय होगा।

11. **जुए के विज्ञापन पर प्रतिषेध।**—ऐसे सभी जुआ खेलों का विज्ञापन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म या संचार के किसी भी अन्य माध्यम से, जिसमें कौशल की तुलना में भाग्य अथवा संयोग की प्रधानता हो, एतद् द्वारा निषिद्ध है।

12. **विज्ञापन के लिए दंड।**—अगर कोई धारा 10 के उपबंधों का उल्लंघन करता है, वह ऐसी अवधि तक के कारावास से, जिसे तीन वर्षों तक के लिए बढ़ाया जा सकेगा और जुर्माना से, जिसे पचास हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकेगा, दंडनीय होगा।

अध्याय III विविध

13. प्रवेश करने, तलाशी लेने, जब्ती और खातों को फ्रीज करने की शक्तियाँ।—कोई भी पुलिस अधिकारी, जो पुलिस उप-निरीक्षक से अन्यून पद का हो, निम्नलिखित कार्य कर सकता है—

- (i) किसी भी सार्वजनिक या व्यावसायिक स्थान या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जिसे सामान्य जुआ घर के रूप में उपयोग किया जाता है, किसी भी समय आवश्यक बल और सहायता के साथ प्रवेश कर सकता है एवं वहाँ पाए गए सभी व्यक्तियों को गिरफ्तार कर सकेगा;
- (ii) ऐसे सभी व्यक्तियों और ऐसे सार्वजनिक या व्यावसायिक स्थान या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के सभी हिस्सों की तलाशी ले सकेगा;
- (iii) जब्त—
 - (क) ऐसे व्यक्तियों के पास पाया गया सारा धन;
 - (ख) जुए के सभी उपकरणों; और
 - (ग) ऐसे स्थान पर पाई जाने वाली सभी धनराशि, धनराशि के लिए प्रतिभूतियाँ और मूल्यवान वस्तुएं जिनके बारे में उचित संदेह है कि उनका उपयोग जुए के उद्देश्य से किया गया है या किया जाना है; और
 - (घ) ऐसे बैंक खातों, वॉलेट खातों या अन्य वित्तीय या डिजिटल खातों को फ्रीज करना जो जुए या ऑनलाइन जुए के उद्देश्य से उपयोग किए गए पाए जाते हैं।

14. जुए के उपकरणों के संबंध में उपधारणा।—कोई भी रजिस्टर, रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, स्क्रिप्ट, लैपटॉप, मोबाइल फोन, कम्प्यूटर या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल डिवाइस जिसमें अंक, आंकड़े, संकेत, प्रतीक या चित्र हों, या इनमें से दो या अधिक का कोई संयोजन हो, जो 'वर्ली', 'मटका', जुआ या जुए के किसी अन्य रूप से संबंधित हों, उन्हें जुए का उपकरण माना जाएगा।

व्याख्या— यदि किसी मोबाइल फोन, कम्प्यूटर या अन्य डिवाइस में कोई जुआ या सट्टेबाजी का एप्लिकेशन डाउनलोड या उपयोग किया गया पाया जाता है, तो यह माना जायेगा; जब तक कि इसके विपरीत सिद्ध न हो जाए; कि ऐसा एप्लिकेशन जुआ या सट्टेबाजी के उद्देश्य से ही डाउनलोड या उपयोग किया गया था:

परंतु इस धारणा को तब खंडित किया जा सकता है यदि जिस व्यक्ति से उपकरण जब्त किया गया है, वह यह सिद्ध कर दे कि रजिस्टर, रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या स्क्रिप्ट विशेष रूप से किसी वैध व्यापार, उद्योग, पेशे या व्यवसाय से संबंधित है और जुए का उपकरण नहीं है।

15. जुए के उपकरणों और आय का विनाश और जब्ती।—किसी व्यक्ति को सामान्य जुआघर चलाने या उसका उपयोग करने, या जुआ खेलने के उद्देश्य से वहाँ उपस्थित होने के लिए दोषी पाए जाने पर, सजा सुनाने वाला मजिस्ट्रेट वहाँ पाए गए जुए के सभी उपकरणों को नष्ट करने का आदेश दे सकता है; और जब्त की गई सभी प्रतिभूतियों और अन्य वस्तुओं को बेचकर नकद में बदलने का आदेश दे सकता है, और यह निर्देश दे सकता है कि उससे प्राप्त आय और जब्त किए गए सभी धनराशि सरकार के पक्ष में जब्त कर लिया जाए:

परंतु मजिस्ट्रेट अपने विवेक से यह आदेश दे सकता है कि ऐसी संपत्ति का कोई भी भाग उन व्यक्तियों का वापस कर दिया जाए जो उसके हकदार प्रतीत होते हैं।

16. संज्ञेयता, जमानतीयता और अधिकार क्षेत्र।—भारतीय नागरिकसुरक्षा संहिता, 2023 में निहित किसी भी बात के बावजूद—

- (i) इस अधिनियम की धारा 3, 5, 7 और 8 के अधीन अपराध संज्ञेय और जमानतीय होंगे, और धारा 4, 6, 9, 10 और 12 के अधीन अपराध संज्ञेय और गैर-जमानतीय होंगे;
- (ii) प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी से नीचे का कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी भी अपराध का विचारण नहीं करेगा।

17. अधिनियम का अन्य कानूनों के अतिरिक्त होना और सर्वोपरि प्रभाव।—इस अधिनियम के प्रावधान तत्समय लागू किसी अन्य अधिनियम के प्रावधान से प्रभावित नहीं होंगे। किसी मामले में विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न होने पर इस अधिनियम द्वारा लागू प्रावधान ही प्रभावी माने जायेंगे।

18. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण।—किसी लोक सेवक के विरुद्ध सद्भावपूर्वक किये गये किसी कार्य के लिए या अपने पदीय कृत्यों के निर्वहन में किये जाने वाले कार्य के लिए या इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये किसी नियम, विनियमन या आदेश के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य कानूनी कार्यवाही नहीं की जायेगी।

19. नियमावली बनाने की शक्ति।—

- (i) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियमावली बना सकेगी, जो उनके प्रकाशन की तारीख से या ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगी, जो इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए।
- (ii) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, प्रकाशित होने पश्चात् यथाशीघ्र विधान मंडल के समक्ष रखा जाएगा।

20. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।—

- (i) यदि इस अधिनियम के किसी उपबंध को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसा प्रावधान कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो और जो कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या उचित प्रतीत हो:
परन्तु इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं दिया जायेगा।
- (ii) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, बनाये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र विधान मंडल के समक्ष रखा जाएगा।

21. निरसन और व्यावृत्ति।—

- (i) पब्लिक गैबलिंग एक्ट, 1867 (1867 का बंगाल अधिनियम 2) जहाँ तक यह बिहार राज्य पर लागू है, एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।
- (ii) ऐसे निरसन के बावजूद—
 - (क) इस प्रकार निरस्त किए गए अधिनियम का पूर्व प्रवर्तन या उसके तहत विधिवत किया गया कोई भी कार्य या उससे हुई कोई भी क्षति प्रभावित नहीं होगा;
 - (ख) निरस्त अधिनियम के तहत की गई कोई भी कार्रवाई, जारी की गई अधिसूचना, पारित किया गया कोई भी आदेश, बनाया गया कोई भी नियम, शुरु की गई कार्यवाही या किया गया कोई भी कार्य या ऐसा कोई भी कार्य, जो इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत नहीं है, उसे इस अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत की गई मानी जाएगी।

अनुसूची—ए

[धारा 2(1)(ज) देखें]

निम्नलिखित सभी खेल—

1.
 - (i) बैकरो
 - (ii) बिग सिक्स व्हील/व्हील ऑफ फॉर्च्यून
 - (iii) शेमिन—डे—फेर
 - (iv) क्रैप्स
 - (v) पलश/ब्रैग/थ्री कार्ड गेम
 - (vi) कीनो
 - (vii) पॉन्टून 21
 - (viii) रूलेट
 - (ix) स्लॉट्स
 - (x) सुपर पेन 9, और
2. राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर विनिर्दिष्ट कोई भी अन्य भाग्य का खेल।

उद्देश्य एवं हेतु

सार्वजनिक जुआ अधिनियम, 1867 एक पुरातन एवं स्वतंत्रता पूर्व का केंद्रीय अधिनियम है। सट्टेबाजी और जुआ राज्य सूची (क्रम सं०-34, भारतीय संविधान के सातवीं अनुसूची की सूची-II) के अंतर्गत है। संविधान के अनुच्छेद 372(1) के अनुसार यदि किसी पूर्व संवैधानिक कानून की विषयवस्तु राज्य सूची में आती है तो राज्य विधायिका उस अधिनियम को निरस्त करने के लिए सक्षम है। इस संबंध में गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सार्वजनिक जुआ अधिनियम, 1867 को निरस्त कर सार्वजनिक जुआ को विनियमित करने के लिए एक नया कानून बनाने हेतु सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों से अनुरोध किया गया है।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने केरल राज्य विद्युत बोर्ड बनाम भारतीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (AIR 1976 SC 1031) में यह उल्लेख करते हुए तय किया है कि "संविधान लागू होने के पश्चात् मौजूदा कानून को संशोधित या निरस्त केवल उस विधायिका के द्वारा किया जा सकता है, जिसके द्वारा इस संबंध में नए कानून बनने पर इसे अधिनियमित किया जाता है।"

अतः उपर्युक्त उद्देश्य से सार्वजनिक जुआ अधिनियम (1867 का बंगाल अधिनियम 2), 1867 को निरस्त कर "बिहार जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम, 2026" का गठन किया जाना है, जिसे अधिनियमित कराना ही इस विधेयक का मुख्य अभीष्ट है।

**सम्राट चौधरी,
भार-साधक सदस्य।**

पटना,
दिनांक-21.07.2026

पूनम सिन्हा,
प्रभारी सचिव
बिहार विधान सभा।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 837-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>